



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-20-04-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त शंकर बरनवाल को 307 भादवि के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 554/2007 धारा- 307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शंकर बरनवाल उर्फ छोटु पुत्र रामचन्द्र निवासी बी-31-27 कैलाश भवन थाना लंका वाराणसी को थाना लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 20-04-2024 को मा0 न्यायालय ASJ-3 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त शंकर बरनवाल उर्फ छोटु पुत्र रामचन्द्र उपरोक्त को धारा- 307 भादवि में 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी